इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

# IIBF VISION

खंड संख्या 17 | अंक संख्या 9 | अप्रैल, 2025 | पृष्ठों की संख्या - 08

**विजन**

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

**मिशन**

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

## इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
बीमा.....3
विनियामक के कथन.....4
आर्थिक संवेष्टन.....5
नयी नियुक्तियाँ.....5
विदेशी मुद्रा.....5
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....6
संस्थान समाचार.....7
बाजार की खबरें.....7
नयी पहलकदमी.....8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

## मुख्य घटनाएँ

### भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कर्ज देने के 1 अप्रैल 2025 से लागू संशोधित मानदंड जारी किए हैं

अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बैंक ऋण देने का लक्ष्य बेहतर ढंग से पूरा हो, इस हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कर्ज देने के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, शहरी सहकारी बैंकों हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कर्ज़ देने का समग्र लक्ष्य संशोधित कर समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का 60% अथवा तुलन पत्रेतर एक्सपोजर का ऋण समतुल्य (CEOBSE), इनमें से जो भी अधिक हो, कर दिया गया है। इसके साथ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कर्ज के मानदंडों के अंतर्गत आवास क्षेत्र को बैंक ऋणों की तीन श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं जो हैं- 50 लाख रुपए (50 लाख व अधिक की आबादी वाले केंद्र), 45 लाख रुपए (10 लाख व अधिक किंतु 50 लाख से कम आबादी वाले केंद्र) तथा 35 लाख रुपए (10 लाख से कम की आबादी वाले केंद्र)। उन उद्देश्यों जिनके लिए ऋण यथा 'नवीकरणीय ऊर्जा' वर्गीकृत किए जा सकते हों, को व्यापक कर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा 'आधारित विद्युत जनित्रों तथा नवीकरणीय ऊर्जा' आधारित जन सुविधाओं हेतु 35 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कर्ज वर्गीकरण हेतु पात्र होंगे। एकल परिवारों हेतु यह सीमा प्रति ऋणी 10 लाख रुपए होगी।

### एमएसएमई हेतु वित्त को और सुगम्य बनाने के लिए एनसीजीटीसी द्वारा पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (MCGS) शुरू

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) (विशेषकर जो विनिर्माण एवं निर्यात में संलग्न हैं), को किफ़ायती ऋण प्रदान करने तथा उनको समग्र वित्तीय उपलब्धता बेहतर बनाने हेतु, राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) ने एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (MCGS-MSME) शुरू की है। उपकरण/मशीनरी खरीदने हेतु पात्र एमएसएमई को मंजूर 100 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा हेतु इस योजना में सदस्य कर्जदाता संस्थाओं (MLI) को 60% गारंटी कवर मिलेगा। एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना के तहत भावी कर्जदारों को अनिवार्यत: वैध उद्यम पंजीकरण संख्या प्राप्त एमएसएमई होना चाहिए और उन्हें किसी कर्जदाता की अनर्जक आस्ति (NPA) नहीं होना चाहिए। उपकरण/मशीनरी की न्यूनतम लागत परियोजना लागत की 75% होनी चाहिए।

### ईएसजी प्रकटन अपेक्षाओं में सेबी द्वारा संशोधन

सूचीबद्ध संस्थाओं को कारोबार करने में सुविधा हो, इसके लिए सेबी ने अपने सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षा (LODR) विनियमों को संशोधित कर पर्यावरण, सामाजिक तथा अभिशासन (ESG) प्रकटन की अपनी अपेक्षाओं में संशोधन किया है। तदनुसार, कारोबार दायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्टिंग (BRSR) के भीतर स्वैच्छिक ग्रीन ऋण प्रकटन की शुरुआत की गई है। सूचीबद्ध संस्थाओं को कारोबार दायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्टिंग कोर के लिए 'आकलन' या 'आश्वासन' की प्रक्रिया अनिवार्यत: करनी होगी। मूल्य शृंखला ईएसजी प्रकटनों को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। मूल्य शृंखला भागीदारों के लिए सीमा, संस्था के क्रय व विक्रय का 2% अथवा इससे अधिक निर्धारित की गई है।

### अदावी आस्तियों में कमी लाने हेतु सेबी द्वारा डिजीलॉकर का उपयोग

बिना पहचान वाली अदावी आस्तियों में कमी लाने हेतु सेबी ने डिजीलॉकर की क्षमता का उपयोग करने का निर्णय लिया है। डिजीलॉकर में म्यूचुअल फंड तथा डिमेट होल्डिंग विवरणों का समावेश एक व्यक्ति की समस्त वित्तीय धारिता एक ही खाते- डिजीलॉकर में उपलब्ध करा सकता है। इसमें उपयोगकर्ता के निधन की सूचना डिजीलॉकर के नामिती/तियों को एसएमएस तथा ई-मेल के जरिए भेजने की सुविधा भी दी गई है। इस कदम से वित्तीय अभिलेखों तक पहुँच तथा ऐसी आस्तियों जो अन्यथा बिना नज़र पड़े रह सकती हैं, की पहचान में सुगमता होगी।

### जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल लिखतों हेतु सेबी ने आवेदन राशि घटा दी है

सेबी ने शेयर बाजार के विकास व विनियमन को बढ़ावा देने के साथ निवेशकों के हितों की रक्षा करने हेतु सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ढांचे को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल लिखतों में अंशदान करने हेतु आवेदन करने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए से घटा कर 1,000 रुपए कर दी गई है।

## बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

### भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड जारी किए हैं। इन मानदंडों में 1 अप्रैल 2025

से, पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (CRAR) न्यूनतम 9% होना अनिवार्य कर दिया गया है जिसमें कम से कम 7% टियर 1 पूंजी (चुकता शेयर पूंजी, रिज़र्व तथा शाश्वत ऋण लिखतों (PDI) को शामिल कर) हो। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास जोखिमों को संभालने हेतु पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो। दिशानिर्देशों में, जोखिम भार गणनाओं, विनियामक कटौतियों तथा शाश्वत ऋण लिखतों हेतु शर्तों का भी उल्लेख है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि पूंजीगत निधियों तथा जोखिम आस्ति अनुपात दर्शाते हुए वार्षिक विवरणियाँ नाबार्ड को प्रस्तुत करें। कॉल ऑप्शन के उपयोग हेतु उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन भी लेना होगा।

**स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetisation Scheme or GMS) की मध्यम व दीर्घकालीन जमाराशियाँ सरकार द्वारा वापस ले ली गई हैं**

26 मार्च 2025 से, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (GMS) के मध्यम व दीर्घकालीन जमाराशि घटक (MLTGD) को बंद कर दिया गया है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 15 सितंबर 2015 को लागू की गई थी जिसमें तीन घटक नामत: अल्पावधि बैंक जमाराशि (1-3 वर्ष), मध्यावधि सरकारी जमाराशि (5-7 वर्ष) तथा दीर्घावधि सरकारी जमाराशि (12-15 वर्ष) थे। अल्पावधि बैंक जमाराशि (STBD) विकल्प उपलब्ध रहेगा लेकिन यह संबंधित बैंक के वाणिज्यिक अर्थक्षमता आकलनों के अनुसार ही होगा।

## बैंकिंग जगत की घटनाएँ

**अनेक नई विशेषताओं के साथ भीम 3.0 शुरू**

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने भीम 3.0 शुरू किया है जो 15 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। धीमे या अस्थिर इंटरनेट कनेक्शन वाले इलाकों में भी इस एप से लेनदेन सुगमता से किए जा सकेंगे। भीम 3.0 में व्यय अनलिटिक्स फीचर का समावेश है जिससे व्ययों की निगरानी, प्रबंधन एवं विभाजन में आसानी होगी। भीम 3.0, भीम वेगा भी लेकर आया है जो व्यापारियों के लिए निर्बाध इन-एप भुगतान सुविधा है ताकि ग्राहक एप के भीतर ही, अन्य पक्ष एप पर गए बिना, भुगतान को तुरंत पूरा कर सकें।

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अतिरिक्त पेंशन देयता के परिशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन**

पेंशन संशोधन के कारण बढ़ी हुई देयताओं को एक ही वर्ष में अवशोषित करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सामना की जा रही मुश्किलों को समझते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मानदंडों में संशोधन किए हैं। पूर्व में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; आरआरबी (कर्मचारी) पेंशन योजना 2018 के कारण उत्पन्न अपनी देयताओं को 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के प्रारम्भ से पाँच वर्ष के भीतर चुका सकते थे। अब उन्हें पेंशन योजना 1 नवंबर 1993 के प्रभाव से लागू करनी है। यदि इस व्यय को वित्त वर्ष 25 में लाभ व हानि खाते में पूरी तरह नहीं प्रभारित किया जाता तो इसे 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के प्रारम्भ से पाँच वर्ष के भीतर चुकाया जा सकता है, इस शर्त के अधीन की निहित कुल पेंशन देयता का न्यूनतम 20% प्रति वर्ष व्यय किया जाए। इस संबंध में उनकी लेखांकन नीति को उनके वित्तीय विवरणों के 'लेखा टिप्पणियाँ' खंड में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाना चाहिए। शीर्ष बैंक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पेंशन संबंधी अपरिशोधित व्यय को अपनी टियर 1 पूंजी से नहीं घटा सकते।

## बीमा

**बीमाकर्ता हेजिंग के लिए बॉन्ड फारवर्ड में संव्यवहार कर सकते हैं: आईआरडीएआई**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकरण हेतु पात्र किसी भी संस्था को सरकारी प्रतिभूतियों (बॉन्ड फारवर्ड) में वायदा संविदा में यथा उपयोगकर्ता संव्यवहार करने की अनुमति दे दी है। इस बदलाव के कारण, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं को बॉन्ड फारवर्ड के क्रय में लॉंग पोजिशन लेने की अनुमति दे दी है। उन्हें ऐसे संव्यवहारों को तिमाही आधार पर रिपोर्ट करना आवश्यक होगा।

**विनियमित संस्थाएं (RE) जोखिम न्यूनीकरण हेतु साइबर फारेंसिक विशेषज्ञ पहले से ही नियोजित कर के रखें: आईआरडीएआई**

आईआरडीएआई ने सभी विनियमित संस्थाओं को कहा है कि साइबर घटनाओं का बिना किसी विलंब के फारेंसिक व मूल कारण विश्लेषण करने हेतु फारेंसिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु सुपरिभाषित प्रक्रिया अथवा प्रथा स्थापित करें। बीमा मध्यस्थों सहित सभी विनियमित संस्थाओं को प्रावधानों के पालन की जानकारी आगामी बोर्ड बैठक में अनिवार्यत: देनी है तथा बैठक के कार्यवृत्त जानकारी के लिए आईआरएडीआई को प्रेषित करने हैं।

# विनियामक के कथन

## डिजिटल भुगतान आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन में योगदान करते हैं: श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि डिजिटल भुगतान आर्थिक विकास में सहायक हैं तथा भौगोलिक बाधाओं और संव्यहारों की ऊंची लागत से पार पाते हुए वित्तीय समावेशन में वृद्धि करते हैं। यह त्वरित, सुरक्षित, भरोसेमंद और किफ़ायती भुगतान जीवंत अर्थव्यवस्था की नींव हैं। डिजिटल भुगतान तंत्र के दायरे का और विस्तार करने के महत्व पर ज़ोर देते हुए श्री मल्होत्रा ने तीन व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख किया जिनमें कार्य किया जाना है। ये हैं- नवोन्मेष को बढ़ावा देने हेतु उदार विनियम, जागरूकता उत्पन्न करना तथा सीमापार भुगतानों को और दक्ष बनाना।

## जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिमों के न्यूनीकरण हेतु सर्वांगीण दृष्टिकोण आवश्यक: श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

जलवायु परिवर्तन जोखिम व वित्त पर पॉलिसी सेमिनार में अपने बीज वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिमों के दो आयामों नामत: सुविधात्मक और विवेकपूर्ण पहलुओं जिनके विषय में विनियामकों, नीति निर्माताओं तथा पालनकर्ताओं को जानना चाहिए, पर प्रकाश डाला। सुविधात्मक आयाम में क्षमता निर्माण, पारिस्थितिक तंत्र का विकास तथा हरित व संधारणीय परिवर्तन हेतु वित्तपोषण शामिल है। दूसरी ओर, विवेकपूर्ण पहलू जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन जोखिम केवल वित्तीय प्रणाली को ही नहीं बल्कि वास्तविक अर्थव्यवस्था चाहे यह कंपनियाँ हों, एमएसएमई हों या कृषि क्षेत्र हो, को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अत: सभी संस्थाओं के बीच गहरा सहयोग और मेलजोल आवश्यक है। देश विशेष की जरूरतों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला करने हेतु सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन जोखिमों के न्यूनीकरण हेतु जलवायु जोखिमों की आवर्तिता व गंभीरता का व्यापक आकलन व उनके वित्तीय प्रभाव का अनुमान अपेक्षित है।

## विनियमित संस्थाएं ग्राहक शिकायतों को सुधार के अवसर के रूप में ही देखें: श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपालों के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्राहक अनुभव को उस सीमा तक समृद्ध करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया कि किसी ऐसी शिकायत का आधार न हो जिसके समाधान की आवश्यकता पड़े। उन्होंने विनियमित संस्थाओं को कहा कि ग्राहक शिकायतों के समाधान हेतु अपनी आंतरिक शिकायत समाधान प्रणाली को अपने स्तर पर सुदृढ़ करें ताकि शिकायतें आगे भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल तक ले जाने की आवश्यकता न हो। ग्राहक शिकायतों को हल करने के लिए उन्होंने कृत्रिम मेधा के उपयोग का सुझाव देते हुए विनियमित संस्थाओं का आव्हान किया कि वे शिकायतों को सुधार लाने, नवोन्मेष करने तथा भरोसा निर्मित करने के अवसर के रूप में देखें। आगे श्री मल्होत्रा ने चेताया कि ग्राहक शिकायतों की संख्या दबाने हेतु विनियामक संस्थाओं के द्वारा इनका गलत वर्गीकरण 'घोर विनियामक उल्लंघन' है। उन्होंने बैंकों के नेतृत्वकर्ताओं को यह भी कहा कि ग्राहक शिकायतों के समाधान हेतु प्रति सप्ताह समर्पित समय दिया करें।

## नवीनतम प्रवृत्तियों को जानने तथा जोखिम आकलन मॉडलों को उन्नत करते रहने की आवश्यकता: श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

फायनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के निजी क्षेत्र सहयोग फोरम को संबोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने संशोधन कार्यकलापों को नियंत्रित करने हेतु अति-उत्साही उपायों के विरुद्ध चेतावनी दी कि कहीं इनसे वैध निवेश रुक न जाएँ। उन्होंने कहा कि डेटा की गुणवत्ता सुधारने तथा उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने से संव्यहारों की छानबीन तथा संदेहास्पद गतिविधियों की पहचान करने में मदद मिलेगी जो सही को गलत तथा गलत को सही के रूप में पहचानने की संभावना में कमी लाएगा। जोखिम आकलन मॉडलों को उन्नत करते रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री मल्होत्रा ने केंद्रीय बैंकों से नवीनतम प्रवृत्तियों तथा परिवर्तनों, अपराधी जिनका दुरुपयोग कर सकते हैं, से परिचित रहने का आग्रह किया। श्री मल्होत्रा के अनुसार केंद्रीय बैंकों को अपने नियमों व ढांचों में बदलाव लाते रहना चाहिए ताकि संदेहास्पद संव्यवहारों की समय रहते पहचान कर पहले से ही उपयुक्त कार्यवाही की जा सके। उन्होंने बैंकों से यह भी कहा कि आवश्यक सावधानी बरतने की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए वे ग्राहकों के अधिकारों व सुविधाओं का ख्याल रखें क्योंकि वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता की रक्षा के लिए ऐसी मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी आवश्यक है।

## आर्थिक संवेष्टन

**आर्थिक कार्य विभाग द्वारा फरवरी 2025 माह हेतु जारी इसकी मासिक आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:**

- गंभीर बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वित्त वर्ष 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा 6.5% की वृद्धि हासिल करने का अनुमान है।
- खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी की हाल की प्रवृत्ति के चलते फरवरी 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति घट कर 3.6% हो गई।
- 2025 में जमाराशियों में वृद्धि ऋणों में वृद्धि से पीछे बनी रही। 7 मार्च 2025 की स्थिति अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों में वृद्धि 12% थी जबकि इसी अवधि में जमाराशियों में वृद्धि (विलयन के प्रभाव को छोड़ कर) 10.3% रही।
- 7 मार्च 2025 की स्थिति अनुसार पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात 16.7% की मजबूत दर पर रहने के साथ समग्र बैंक चलनिधि पर्याप्त बनी रही।
- निवल ब्याज मार्जिन में कमी के बावजूद वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में आस्तियों पर प्रतिफल तथा इक्विटी पर प्रतिफल एक दशक के उच्चतम स्तर पर क्रमश: 1.4% तथा 14.1% रहा।
- सितंबर 2024 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 12 वर्ष के न्यूनतम 2.6% पर स्थिर रहने के साथ आस्ति गुणवत्ता मजबूत रही। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भी अपने प्रणाली स्तरीय मानदंडों में मजबूती दर्शाई।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किए गए सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग दृष्टिकोण सर्वेक्षण (अक्तूबर – दिसंबर 2024), वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 62% एमएसएमई द्वारा अपनी कर्मचारी संख्या बनाए रखने के साथ स्थिर रोजगार परिदृश्य पेश करता है।

## नयी नियुक्तियाँ

| नाम | पदनाम |
|---|---|
| श्री अतुल कुमार गोयल | मुख्य कार्यपालक, भारतीय बैंक संघ (IBA) |

## विदेशी मुद्रा

**विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ**

| मद | 28 मार्च 2025 के दिन करोड रुपए | 28 मार्च 2025 के दिन मिलियन अमरीकी डॉलर |
|---|---|---|
| 1. कुल प्रारक्षित निधियाँ | 5687095 | 665396 |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां | 4829095 | 565014 |
| 1.2 सोना | 664889 | 77793 |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार | 155344 | 18176 |
| 1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ | 37768 | 4413 |

**विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डॉलर) पिछले 6 माह**

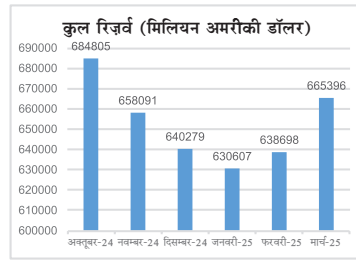


*नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।*

*स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक*

**28 मार्च 2025 की स्थिति अनुसार एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARR) की आधार दरें, अप्रैल 2025 माह हेतु लागू**

| एआरआर | दर |
|---|---|
| SOFR (अमरीकी डॉलर) | 4.35 |
| SONIA (जीबीपी) | 4.4572 |
| STR (यूरो) | 2.417 |
| TONA (जापानी येन) | 0.477 |
| CORRA (कनाडाई डॉलर) | 2.7600 |
| AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर) | 4.10 |
| SARON (स्विस फ्रैंक) | 0.199213 |

| एआरआर | दर |
|---|---|
| OCR (न्यूजीलैंड डॉलर) | 3.75 |
| SWESTR (स्वीडिस क्रोन) | 2.138 |
| SORA (सिंगापुर डॉलर) | 2.9409 |
| HONIA (हांगकांग डॉलर) | 2.60960 |
| MYOR (म्यांमार रुपया) | 3.00 |
| DESTR (डैनिश क्रोन) | 2.0430 |

*स्रोत: www.fbil.org.in*

## शब्दावली

**शाश्वत कर्ज लिखतें (PDIs)**

शाश्वत कर्ज लिखतें जिन्हें शाश्वत बॉन्ड भी कहा जाता है, बिना किसी परिपक्वता तिथि वाली स्थिर आय प्रतिभूतियाँ हैं। इसका जारीकर्ता कानूनी रूप से बाध्य होता है कि अपने शोधक्षम रहने तक बॉन्डधारकों को अनिश्चित काल तक नियमित ब्याज (कूपन) का भुगतान करना जारी रखे। इन्हें प्राय: इक्विटी के एक प्रकार, न कि कर्ज, के रूप में देखा जाता है।

## वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

**समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC)**

समायोजित निवल बैंक ऋण का उपयोग भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने हेतु लक्ष्यों तथा उप-लक्ष्यों की गणना का आधार निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना निवल बैंक ऋण को परिपक्वता हेतु धारित खंड में रखे गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) बॉन्ड में निवेश हेतु निवल बैंक ऋण को जोड़ कर की जाती है।

## संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

**अप्रैल 2025 माह के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम**

| कार्यक्रम | तिथियाँ | स्थल |
|---|---|---|
| सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल हेतु परीक्षा उपरांत प्रशिक्षण | 15-17 अप्रैल, 2025 | वर्चुअल |
| तुलन पत्र अध्ययन तथा अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम | 15-17 अप्रैल, 2025 | |
| आईटी एवं साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम | 21-22 अप्रैल, 2025 | |
| विदेशी मुद्रा कारोबार पर कार्यक्रम | 21-23 अप्रैल, 2025 | लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई |
| तनावग्रस्त आस्तियों के दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के जरिए समाधान पर कार्यक्रम | 22-24 अप्रैल, 2025 | वर्चुअल |
| ग्राहक सेवा उत्कृष्टता पर कार्यक्रम | 23-24 अप्रैल, 2025 | लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई |

| कार्यक्रम | तिथियाँ | स्थल |
|---|---|---|
| बैंकों में धोखाधड़ी रोकने हेतु रणनीतियों पर कार्यक्रम | 24-25 अप्रैल, 2025 | वर्चुअल |
| बैंकिंग में अनुपालन पर कार्यक्रम | 29-30 अप्रैल, 2025 | |

## संस्थान समाचार

### आईआईबीएफ द्वारा एचआर तथा लर्निंग व डेवलपमेंट बैठक का आयोजन

प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, पश्चिम जोन की पहली वर्षगांठ पर आईआईबीएफ 5 अप्रैल 2025 को एचआर तथा लर्निंग व डेवलपमेंट बैठक आयोजित की, जिसमें प्रमुख गणमान्य व्यक्ति आईआईबीएफ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विश्व केतन दास रहे। बैठक वित्तीय क्षेत्र में अधिगम की विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा हेतु आयोजित की गई थी।

### आईआईबीएफ द्वारा बैंकिंग एंड फाइनेंस इयरबुक 2025 का चौथा संस्करण जारी

आईआईबीएफ ने बैंकिंग एंड फाइनेंस इयरबुक 2025 का चौथा संस्करण जारी कर दिया है। यह 31 दिसंबर 2024 को समाप्त वर्ष हेतु बैंकिंग व वित्त के क्षेत्र के विभिन्न वर्टिकल में सभी प्रमुख घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के दृष्टिकोणों तथा विनियामक बदलावों का विस्तृत डाइजेस्ट है। अमेजान पर यह पुस्तक पेपरबैक तथा किंडल संस्करण में उपलब्ध है। यह प्रकाशक मेसर्स टैक्समैन पब्लिकेशंस (प्राइवेट) लिमिटेड के खुदरा विक्रेताओं से भी खरीदी जा सकती है।

### आगामी अंक हेतु बैंक क्वेस्ट का विषय

अप्रैल-जून 2025 तिमाही के लिए बैंक क्वेस्ट के आने वाले अंक हेतु विषय 'नेट जीरो बैंकिंग' रखा गया है। उप-विषय हैं: दायित्वपूर्ण बैंकिंग, हरित वित्तपोषण, हरित बॉन्ड, हरित वित्तपोषण का अंगीकरण।

### परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए कट-ऑफ तिथि

संस्थान ने प्रत्येक परीक्षा में हाल की घटनाओं/विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विषय में प्रश्न पूछने की प्रथा बना रखी है ताकि यह पता चल सके कि क्या अभ्यर्थी नए बदलावों की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि एवं परीक्षा की वास्तविक तिथि के बीच घटनाओं/दिशानिर्देशों में परिवर्तन हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान के लिए निर्णय लिया गया है कि: (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में मार्च से अगस्त माह की अवधि में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु, प्रश्नपत्र में, केवल 31 दिसंबर तक विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग व वित्त जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में सितंबर से फरवरी माह की अवधि में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु, प्रश्नपत्र में, केवल 30 जून तक विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग व वित्त जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा।

## बाजार की खबरें

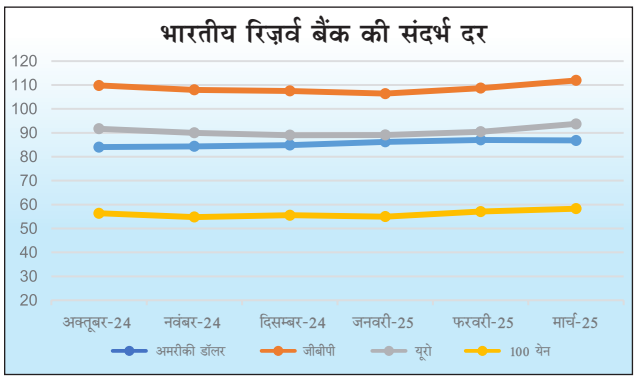


स्रोत: एफबीआईएल

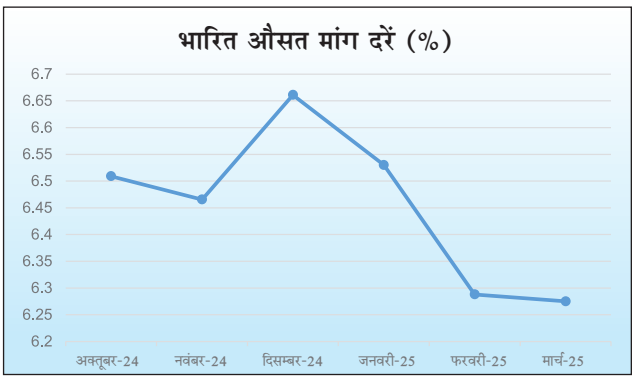


स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

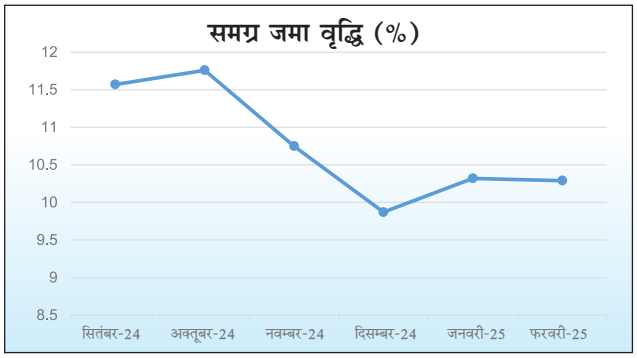


स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मार्च, 2025

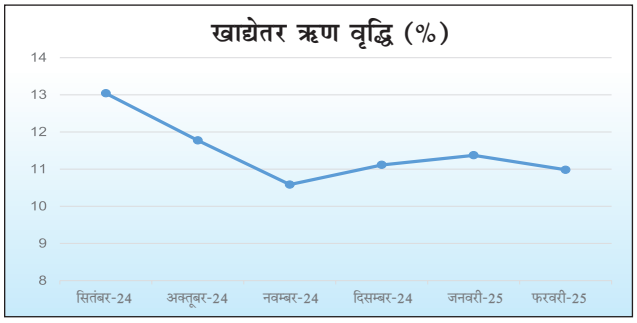


स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मार्च, 2025

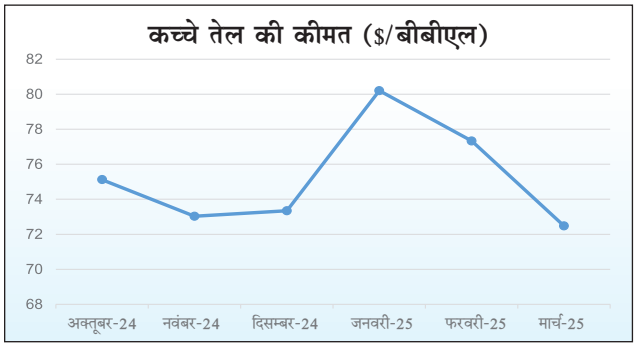


स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

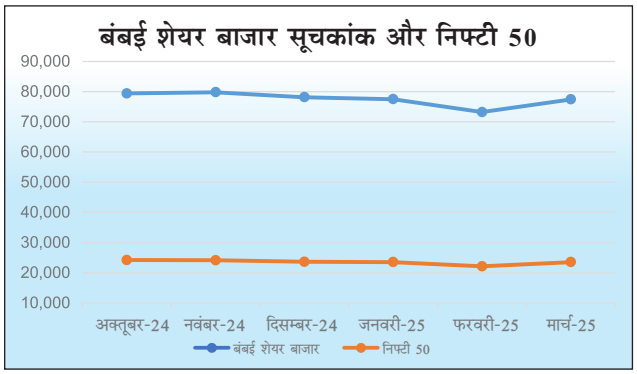


स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

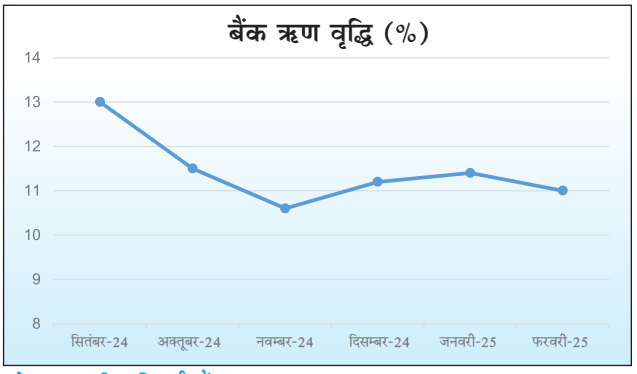


स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

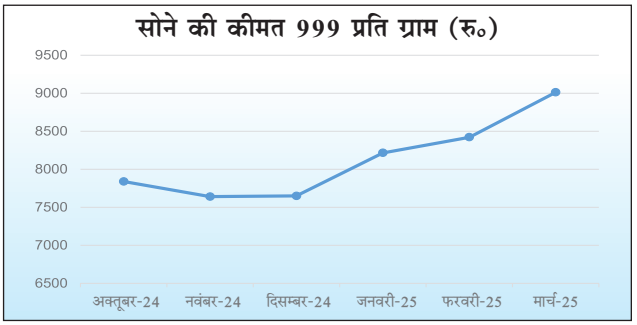


स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

## नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई–मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

**Printed by** Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
**Editor :** Biswa Ketan Das

**INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE**
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W),
Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in